

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02. त०शि०/योजना-27/2024

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट- हिनु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय पोलिटेकनिक, गिरिडीह के चाहरदीवारी निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि ₹0 1,32,84,200/- (₹0 एक करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत गिरिडीह जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, गिरिडीह के निमित्त उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक 1144 दिनांक 21.05.2025 द्वारा गिरिडीह जिला के अंचल-गिरिडीह, मौजा-जरीडीह, थाना नं०-104 के अन्तर्गत खाता नं०-180, प्लॉट नं०-1534, कुल रकबा-10 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म, परती कदीम भूमि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित है। उक्त हस्तांतरित भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा सुरक्षा की दृष्टि से चाहरदीवारी निर्माण किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से प्राक्कलन प्राप्त किया गया है। राजकीय पोलिटेकनिक, गिरिडीह में चाहरदीवारी के निर्माण कार्य हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक 1281(नि०) दिनांक 07.05.2026 के द्वारा तकनीकी अनुमोदित (Estimate No. 15/T.A/H.E./JSBCCL/2026-27, Page No. 349 दिनांक 06.05.2026) प्राक्कलन समर्पित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Boundary Wall	1,05,27,943.00
	Total Cost (A)	1,05,27,943.00
	Add 18% for GST on 'A'	18,95,030.00
	Total Amount with GST (B)	1,24,22,973.00
	Add 1% for Labour Cess on 'B'	1,24,230.00
	Add Agency Charges for JSBCCL @7% on 'A'	7,36,956.00
	Grand Total	1,32,84,159.00
	Say	1,32,84,200.00
(₹0 एक करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार दो सौ) मात्र		

अतः उक्त के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, गिरिडीह के लिए चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य के लिए कुल ₹0 1,32,84,200/- (₹0 एक करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) विषयांकित योजना के निमित्त राशि उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार-(Sub Scheme Head-01-राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण-जीर्णोद्धार)-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-ईकाई-45-निर्माण कार्य से की जायेगी। विपत्र कोड - 43S42020210506010545

(ख) विषयांकित योजना के निमित्त राशि उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/ उपशीर्ष-06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार-(Sub Scheme Head -01-राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण-जीर्णोद्धार)-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-ईकाई-45-निर्माण कार्य से की जायेगी।

विपत्र कोड - 43S42020279606010545

✓

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।
4. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेंगे। स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 06 (छः) माह होगी तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात एक माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जायगी।
5. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त कार्य पूर्ण कराते हुए कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
8. कार्य की प्रगति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण निदेशक, तकनीकी शिक्षा के द्वारा की जायगी।
9. विषयांकित कार्य हेतु राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में की जायेगी।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
11. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय में लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 02. त०शि०/योजना-27/2024

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 02. त०शि०/योजना-27/2024 /07/योजना

/राँची, दिनांक:- 23/06/2026

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/उपायुक्त, गिरिडीह/अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/निदेशक, बी०आई०टी० सिन्दरी/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव